Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- जयपुर में आयकर विभाग जयपुर रेंज–प्रथम, एमटीएस (मल्टी टास्किंग स्टाफ) 10,000/– रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

जयपुर, दिनांक 15 अक्टूबर, बुधवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी जयपुर नगर तृतीय जयपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये आरोपी **विष्णु पारीक पुलिस थाना–झोटवाडा, जयपुर हाल एमटीएस (मल्टी टास्किंग स्टाफ) रेंज–प्रथम, आयकर विभाग, जयपुर** को **10,000/– रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** ने बताया कि ए.सी.बी. चौकी जयपुर नगर तृतीय जयपुर को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी की फर्म साकेत जैम्स के आयकर रिटर्न वर्ष 2014–15 के आयकर अपीलय अधिकरण न्यायपीठ जयपुर द्वारा दिये गये फैसले में परिवादी के करीब 58 लाख रूपये आयकर विभाग को लौटाने का आदेश जून 2024 में दिये, जिस पर आयकर विभाग द्वारा परिवादी को करीब 40 लाख रूपये रिटर्न किये एवं शेष रूपये अन्य अपील में होल्ड कर दिये। आरोपी विष्णु पारीक द्वारा 40 लाख रूपये लौटाये जाने एवं शेष अपील के रूप्ये दिलाने की एवज में 15,000/– रूप्ये रिश्वत की राशि की मांग कर दौराने रिश्वत मांग सत्यापन 5,000/– रूपये प्राप्त कर लिये जाने के तथ्य प्रकट हुये।

जिस पर एसीबी जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस–द्वितीय श्री आनन्द शर्मा** के सुपरवीजन में ए.सी.बी. जयपुर नगर तृतीय जयपुर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ज्ञान प्रकाश नवल** के नेतृत्व में **उप अधीक्षक पुलिस श्री सुरेश कुमार** स्वामी एवं अन्य के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी विष्णु पारीक एमटीएस (मल्टी टास्किंग स्टाफ) रेंज प्रथम, आयकर विभाग, जयपुर को **10,000/– रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

आरोपी विष्णु पारीक से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।